ABPL

सेवा में,

श्रीमान तकनीकी सलाहकार (OSD),
यू0पी0रेरा,
राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन गण्डी)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद
लखनऊ-226007 (उत्तर प्रदेश)।

विषय :- सिटीजन E.W.S./L.I.G. हाउसिंग स्कीम के नाम से विकसित किये जा रहे अल्प आय वर्ग (E.W.S.) एवं निम्न आय वर्ग (L.I.G.) इकाई स्थित मौजा अंदावा परगना झूँसी तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज का पंजीकरण रेरा अथारिटी में शासनादेश दिनांक 05.12.2013 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-267/2016/3267/ आठ/-1- 16-80 विविध/10 दिनांक 25.10.2016 के तहत करवाने हेतु किये गये आवेदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- पत्रांक संख्या 0510214/यू0पी0-रेरा/परि0पंजी0/2021-22 दिनांकित 05/10/2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में सादर निवेदन करना है कि संदर्भित पत्र जारी करते हुए विकासकर्ता कन्सोर्टियम द्वारा विकसित की जा रही इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप में जिसको उ0प्र0 शासन की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2014 के तहत विकसित किया जा रहा है, के अनुच्छेद 13.3 सपठित 13.7 के अधीन क्रास सब्सिडिजाइजेशन के तहत शासनादेश दिनांकित 05/12/2013 यथासंशोधित संख्या-267/2016/3267/ आठ/-1- 16-80 विविध/10 दिनांक 25.10.2016 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन निर्मित किये जा रहे ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 फ्लैट्स के निर्माण के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा यू0पी0 रेरा में पंजीकरण हेतु किये गये आवेदन जिसका आई0डी0 नं0 ID312523 है, का संज्ञान ग्रहण करते हुए कतिपय बिन्दु पर स्पष्टीकरण एवं कुछ बिन्दुओं पर अनुपालनार्थ निर्देश जारी किया गया है।

विकासकर्ता द्वारा विकसित किये जा रहे प्रश्नगत परियोजना में Cross-subsidisation के तहत अनिवार्य रुप से सुसंगत ऊपर उल्लेखित शासनादेश के क्रम में ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 फ्लैट्स के निर्माण की बाध्यता है जिसके क्रम में प्रश्नगत पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है उक्त बहुमंजिला G + 3 निर्माण प्रश्नगत इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप का हिस्सा नहीं है।

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Director

उपरोक्त के क्रम में आगे अवगत कराना है कि प्रस्तुत आवेदन-पत्र का संज्ञान ग्रहण करते हुए संदर्भित पत्र रेरा के स्तर पर प्रेषित करते हुए कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन अपेक्षित है जिसका क्रमवार विवरण विकासकर्ता/ प्रमोटर द्वारा निम्नानुसार अपना अभिमत निर्देशों का पालन करते हुए प्रस्तुत है:-

बिन्दु संख्या-(1) The map is sanctioned in the name of M/s ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED, Citizen Housing and Developing Co-Operative Society Ltd. and Citizen Infraventures Pvt. Ltd. New Sun City Consortium.

स्पष्टीकरण-उक्त बिन्दु संख्या (1) के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि जैसा कि ऊपर उल्लेखित है क्रास सब्सडिजाइजेशन के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 फ्लैट्स का निर्माण किया जाना प्रतिबंधित है जिसके अधीन परियोजना के लीड मेम्बर M/s ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED द्वारा बतौर विकासकर्ता/प्रमोटर उक्त प्रश्नगत निर्माण सुसंगत शासनादेश के क्रम में करवाया जा रहा है एवं पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए अधिकृत है। ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 का मानचित्र इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के भूविन्यास मानचित्र के साथ ही साथ अवमुक्त हुआ है परन्तु उक्त ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 प्रोजेक्ट का प्रमोटर स्वतंत्र रूप से M/s ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED है। साधारणतया सभी बड़े प्रोजेक्ट में ऐसे E.W.S./L.I.G. का निर्माण करना पड़ता है जिसका नक्शा मुख्य प्रोजेक्ट के साथ ही अनुमोदित होता है।

बिन्दु संख्या-(2) Individual Contractor, Architect and Structural Engineer name designated on the project are required to be mentioned.

स्पष्टीकरण-उक्त बिन्दु संख्या (2) के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि इस निर्देश का अनुपालन करते हुए विकासकर्ता/प्रमोटर द्वारा रेरा की वेबसाइट पर आवश्यक विवरण अपलोड किया जा चुका है। **संलग्न संख्या-1**

बिन्दु संख्या-(3) Development works are not described. Irrelevant project details are mentioned. QPR is not uploaded.

स्पष्टीकरण-उक्त बिन्दु संख्या (3) के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि इस निर्देश का अनुपालन करते हुए विकासकर्ता/प्रमोटर द्वारा रेरा की वेबसाइट पर आवश्यक विवरण अपलोड किया जा चुका है इससे सम्बन्धित दस्तावेज आपके अवलोकनार्थ **संलग्न संख्या-2** है।

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Director

बिन्दु संख्या-(4) Please mention the details of bookings/Sales for the project till the latest date in an affidavit and also confirm that there is no other project is registered in RERA on the same kharsa number as proposed for this project.

स्पष्टीकरण-उक्त बिन्दु संख्या (4) के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि जैसा कि बिन्दु संख्या (3) के स्पष्टीकरण में उल्लेखित है सुसंगत शासनादेश के प्रावधानों के तहत क्रय विक्रय का कोई अधिकार विकासकर्ता के पास सुरक्षित नहीं है क्रास सब्सिडिजाइजेशन के परिणामस्वरूप निर्मित किये जाने वाले ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० के फ्लैट्स का आवंटन विकास प्राधिकरण लाटरी पद्धति से सम्पन्न किया जाना है इस बिन्दु को इस पत्र के साथ संलग्न Undertaking-cum-Affidavit में विस्तारपूर्वक अपेक्षानुसार स्पष्ट किया गया है जो **संलग्न संख्या-3** है।

बिन्दु संख्या-(5) No details have been uploaded in the Promoter and Project details. Please upload the necessary documents as required.

स्पष्टीकरण-उक्त बिन्दु संख्या (5) के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रार्थी विकासकर्ता द्वारा इस बिन्दु का अनुपालन करते हुए आवश्यक विवरण रेरा के वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। आपके अवलोकनार्थ दस्तावेज की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ **संलग्न संख्या-4** है।

बिन्दु संख्या-(6) Separate and Transactional accounts are with the Bank of Baroda but the collection account is with Indian Bank.

स्पष्टीकरण-उक्त बिन्दु संख्या (6) के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि विकासकर्ता द्वारा रेरा अथारिटी द्वारा जारी गाइडलाईस के तहत तीन अलग-अलग बैंक खाता खोला गया है। प्रश्नगत गाइडलाईस में एक ही बैंक में खाता खोलने की बाध्यता नहीं है यदि रेरा अथारिटी के स्तर पर Objectionable है तो इस सम्बन्ध में अग्रिम निर्देश प्राप्त होते ही विकासकर्ता द्वारा एक ही बैंक में तीनों खाता खोला जा सकता है परन्तु ऐसा कोई प्रावधान रेरा के गाइडलाईस अथवा शासनादेश में उपलब्ध होना विकासकर्ता के संज्ञान में नहीं है जिस पर आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है।

बिन्दु संख्या-(7) Please upload Encumbrances detail cum land title search report from an advocate having 10 years of experience of land-related matters.

स्पष्टीकरण-उक्त बिन्दु संख्या (7) के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि भारमुक्त प्रमाण-पत्र के साथ title search report से सम्बन्धित दस्तावेजों को निर्देशानुसार अधिकृत अधिवक्ता के स्तर पर अपेक्षित अनुपालन करते हुए प्राप्त report की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ इस पत्र के साथ **संलग्न संख्या-5** है।

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Director

बिन्दु संख्या-(8) Please explain the applied land area in an area chart as per the sale deed uploaded, highlighting the same in the latest khatauni extract duly signed by the promoter.

स्पष्टीकरण-उक्त बिन्दु संख्या (8) के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के भवनों के निर्माण का नेट प्लाट एरिया 2492 वर्गमी0 है जिसका स्वामित्व एवं शान्तिपूर्ण कब्जा विकासकर्ता के पास है। विकासकर्ता द्वारा Compound Wall का निर्माण करवाते हुए परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। राजस्व अभिलेखों में विकासकर्ता का नाम अंकित है, परियोजना को सजरा मानचित्र पर दर्शाते हुए खतौनी की प्रतिलिपि विकासकर्ता द्वारा स्वतः प्रमाणित करते हुए उसकी हार्डकापी इस पत्र के साथ **संलग्न संख्या-6** है।

अतः श्रीमान जी से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि प्रार्थी विकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत परियोजना के अधीन सुसंगत शासनादेश के तहत विकसित किये जा रहे ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण का पंजीकरण करवाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिसका आई0डी0 नं0 ID312523 है का संज्ञान ग्रहण करते हुए संदर्भित पत्र में कमियां इंगित की गई है जिसका निराकरण विकासकर्ता इस पत्र के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एवं निर्देशानुसार Undertaking-cum-Affidavit प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण के सम्बन्ध में अपेक्षित अनुशंसा प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा रेरा के वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड की जा चुकी है। विकासकर्ता द्वारा संलग्न अनुपालन आख्या को पत्रावली का हिस्सा बनाते हुए नियमानुसार पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए रेरा में पंजीकरण का वास्तविक नम्बर आवंटित करने की कृपा करें।

दिनांक :-

स्थान :- प्रयागराज।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार शासनादेश सहित अपेक्षित दस्तावेज संलग्न है।

भवदीय

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

(अनुभव वर्मा)

निदेशक

Director

E-mail:verma.anubhav@gmail.com
Mobile : 9307502104

Annexure 1

Monday, 11 Oct 2021 | 03:19:56 PM

Welcome : ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Project Registration

Promoter Details| Basic Details | Plan Details | Other Details | Development Works | Project Bank Details | Land Details | Upload Documents | Enter Quarterly Targets | View Filled Targets |

Other Details

Contractor Name *
RAJAN KUMAR BIND

Contractor Address *
MAHESHPUR ANDAWA JHUNSI PRAYAGRAJ

Architect Name *
ANIL KUMAR GUPTA

Architect Address *
AKRITI ARCHITECT AND ENGINEERS K-1 PRAYAGRAJ STRACHY R

Architect Licence Number *
CA/89/12467

Structural Engineer Name *
ER OMKAR VERMA

Structural Engineer Address *
SPAN STRUCTURES 6/14 INDIRA NAGAR LUCKNOW UP

Mobile number(Project Co-ordinator) *
9307502104

Create Project Password *
Password...

Confirm Password *
Confirm Password...

SAVE AND CONTIN

Annexure 2

Friday, 8 Oct, 2021 | 06:35:02 PM

Point 3
Development works

Welcome : ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Project Registration

Promoter Details| Basic Details | Plan Details | Other Details | Development Works | Project Bank Details | Land Details | Upload Documents | Enter Quarterly Targets | View Filled Targets |

Development Works (Brief Description)

Development Work Name	Enter Brief Description
Demarcation of Plots*	NOT APPLICABLE
Boundary Wall*	COMPLETED
Road Work*	APPROACH ROAD COMPLETED
Footpaths*	COMPLETED
Water Supply Including Drinking Water Facilities*	FROM OVERHEAD WATER TANK SUPPLIED BY BOREWELL
Sewer System*	SEWAGE TREATMENT PLANT (STP) WILL BE SETUP
Drain*	PROPER DRAINAGE NETWORK WILL BE PROVIDED
Parks*	GREEN AREA AS PER APPROVED MAP

Tree Planting*	50 NOS
Design For Electric Supply Including Street Lighting*	INFRASTRUCTURE WILL BE DEVELOPED AS PER PuVVNL
Community Buildings*	NOT APPLICABLE AS PER EWS LIG POLICY
Treatment and Disposal System of Sewage and Sullage water*	SEWAGE TREATMENT PLANT AND DRAINAGE SYSTEM WILL BE SETUP
Solid Waste Management And Disposal System*	WILL BE PROVIDED AS PER NAGAR NIGAM NORMS
Water Conservation System*	RAIN WATER HARVESTING WILL BE PROVIDED
Energy Management System Including Use of Renewable Energy*	SOLAR STREET LIGHTING
Fire Protection And Fire Safety System*	AS APPLICABLE UNDER FIRE SAFETY NORMS

Social Infrastructure And Other Public Amenities Including Public Health Services*	NOT APPLICABLE
Emergency Evacuation Services*	AS PER APPLICABLE NORMS
Other Miscellaneous Work*	AS APPLICABLE

रेरा उ.प्र.

The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 is an Act of the Parliament of India which seeks to protect home-buyers as well as help boost investments in the real estate industry. The Act came into force from 1 May 2016.

Quick Links

- Home
- About
- Career
- Legal
- Downloads
- Contact Us

SAVE AND CONTINUE

Social Links

- Facebook
- Google
- Twitter
- LinkedIn
- Youtube

Circulars & Notices

- Agreement For Sale/Lease
- Order For CA, Architect, Engineer Certificate
- Order For Project Registration & Editing
- SOP For Complaint Redressal
- Click For More Notices...

Friday, 8 Oct. 2021 | 06:36:32 PM

Point No. 3
QPR

Edit Quartely Targets

Edit Quartely Targets

Welcome : ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Edit Quartely Targets

Select Development Type — Building/Apartment

Select Format Type — Development Work Related tc

RESET

Targets already filled!!!

The Real Estate (Regulation and Development)

Quick Links

- Home
- About
- Career

Social Links

- Facebook
- Google
- Twitter

Circulars & Notices

- Agreement For Sale/Lease
- Order For CA, Architect, Engineer Certificate
- Order For Project Registration & Editing

Annexure 3

Signature .... [illegible] YADAV
[illegible] UP 1434 [illegible]
[illegible]
Licence No. [illegible] 2370
[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP96839305896228T
Certificate Issued Date	:	11-Oct-2021 01:37 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14348804/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1434880483009561940863T
Purchased by	:	ABHIYAAN BUILDCON PVT LTD THR DIR ANUBHAV VERMA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	AS PER DOCUMENT
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ABHIYAAN BUILDCON PVT LTD THR DIR ANUBHAV VERMA
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	ABHIYAAN BUILDCON PVT LTD THR DIR ANUBHAV VERMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY ... NOTARIAL ... NOTARIAL ... GOVT. OF INDIA

NOTARY ... GOVT. ...

--Please write or type below this line--

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Director

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [illegible]
Any discrepancy in the details [illegible]
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

समक्ष : तकनीकी सलाहकार /सक्षम प्राधिकारी यू0पी0रेरा,
राज्य नियोजन संस्थान,
(नवीन मण्डी) कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद लखनऊ-226007 (उत्तर प्रदेश)।

Undertaking-cum-Affidavit

शपथ-पत्र मिनजानिब मे0 अभ्यान बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक अनुभव वर्मा पुत्र निशीथ वर्मा पंजीकृत कार्यालय : 14 इब्राहिमपुर मजरा कटका निकट इण्डियन ऑयल डिपो, झूंसी, प्रयागराज।

मैं शपथकर्ता उपरोक्त बहलफ बयान करता हूँ कि :

1. यह कि शपथकर्ता सिटीजन E.W.S/L.I.G. हाउसिंग स्कीम के नाम से विकसित किये जाने वाले अल्प आय वर्ग (E.W.S.) एवं निम्न आय वर्ग (L.I.G.) स्थित मौजा अंदावा परगना झूँसी तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज का विकासकर्ता/प्रमोटर है इस प्रकार से प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों से वास्ता व सरोकार रखता है तथा यह शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए अधिकृत है।
2. यह कि परियोजना में शासनादेश दिनांक 05.12.2013 यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 25.10.2016 जिसका पूरा विवरण प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित है के अनुसार विकासकर्ता/प्रमोटर द्वारा निर्मित आर्थिक दृष्टि से दुर्बल (ई0डब्ल्यू0एस0) एवं अल्प आर्य वर्ग (एल0आई0जी0) का आवंटन लाटरी पद्धति के माध्यम से विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से आवंटित किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार के आवंटन विकासकर्ता का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहता है अर्थात् पूर्ण रूप से विकास प्राधिकरण के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।
3. यह कि प्रश्नगत आवंटन के बाद विकासकर्ता द्वारा विकसित किये जा रहे उक्त ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 फ्लैट के क्रय-विक्रय की प्रक्रिया एवं किस्तों की धनराशि निर्धारित होगी इस प्रकार से इस स्तर पर जैसा कि रेरा अथारिटी के पत्रांक संख्या 0510214/यू0पी0-रेरा/परि0पंजी0/2021-22 दिनांकित 05/10/2021 जो कि विकाससर्ता द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिसका आई0डी0 नं0 ID312523 है, का संज्ञान ग्रहण करते हुए बिन्दु संख्या-4 पर शपथ-पत्र की अपेक्षा की गई है जिसको स्पष्ट करते हुए यह Undertaking-cum-Affidavit प्रस्तुत है जो प्रार्थना-पत्र का आवश्यक अंग व भाग है उक्त प्रार्थना-पत्र रेरा अथारिटी के संदर्भित पत्र में उठाये गये कतिपय स्पष्टीकरण/निदेशात्मक बिन्दुओं का निराकरण करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है।

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED
Director

4. यह कि उक्त पत्र दिनांक 05/10/2021 के बिन्दु संख्या-4 के सन्दर्भ में यह Undertaking-cum-Affidavit अपेक्षित है जिसके माध्यम से अवगत कराना है कि उक्त परियोजना में **आज दिनांक 11/10/2021** तक कोई बुकिंग अथवा विक्रय नहीं किया गया है।
5. यह कि सिटीजन E.W.S./L.I.G. हाउसिंग स्कीम आराजी संख्या 1091 स्थित मौजा अन्दावां परगना झूंसी तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज जिसमें परियोजना का क्षेत्रफल 2492 वर्गमी० प्रस्तावित है इस खसरे में 2492 वर्गमी० भूखण्ड का उपयोग निर्विवाद रूप से इस नयी परियोजना के लिए किया जा रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में पूर्व में रेरा में किसी प्रोजेक्ट के रूप में न तो कोई पंजीकरण का आवेदन किया गया है न ही किसी प्रकार का रेरा नम्बर जारी हुआ है।
6. यह कि शपथकर्ता विकासकर्ता/प्रमोटर M/s ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED द्वारा प्रश्नगत परियोजना में प्रभावी शासनादेश के अधीन क्रास सब्सिडिजाइजेशन के परिणामस्वरूप विकसित किये जा रहे ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० के फ्लैट्स के निर्माण का पंजीकरण करवाये जाने हेतु किये गये आवेदन-पत्र आई०डी० नं० ID312523 के समर्थन में तथा रेरा अथारिटी द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 05.10.2021 के क्रम में यह शपथ-पत्र प्रेषित है जो संलग्न प्रार्थना-पत्र का एक आवश्यक अंग व भाग माना व समझा जायेगा
7. यह कि इस Undertaking-cum-Affidavit के समर्थन में मुबलिग रू० 100/- का का ई-स्टाम्प अदा किया जा रहा है जिसका ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र सं० IN-UP96839305896228T है।

मैं शपथकर्ता उपरोक्त बहलफ तस्दीक करता हूँ कि शपथ-पत्र की धारा 1 लगायत 7 मेरी निजी जानकारी में सच व सही है इसमें न कोई तथ्य छिपाया गया है न ही झूठ है। ईश्वर मेरी मदद करे।

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Director

शपथकर्ता

दिनांक :-

स्थान :- प्रयागराज

SOLEMNLY AFFIRMED before me ... by Sr ...

R.B. Singh
Advocate/Notary

Annexure 4

Friday, 8 Oct, 2021 | 06:37:07 PM

Point No 5
Promoter Details

Project Registratic

Promoter Details | Basic Details | Targets | View Filled Targets | Documents | Enter Quarterly

Basic Details

☐ Ongoing

Promoter Details

Chairman

Name	ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED
Registration Date :	28-07-2017
Applicant Type :	Company
Name of Chairman :	ANUBHAV VERMA
CIN No :	U45202UP1989PTC010507
Registration No :	-
Email :	verma.anubhav@gmail.com
Mobile :	9307502104
Permanent address :	14 IBRAHIMPUR, MAZRA KATKA, JHUNSI, NEAR INDIAN OIL TRIVENIPURAM, ALLAHABAD
Pan number :	AAGCS9845J

CLOSE

The Real Estate (Regulation a
Act, 2016 is an Act of the Parli
which seeks to protect home-l
help boost investments in the
industry. The Act came into fo
2016.

Promoter Details

×

Chairman -

Name	ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED
Registration Date :	28-07-2017
Applicant Type :	Company
Name of Chairman :	ANUBHAV VERMA
CIN No :	U45202UP1989PTC010507
Registration No :	-
Email :	verma.anubhav@gmail.com
Mobile :	9307502104
Permanent address :	14 IBRAHIMPUR, MAZRA KATKA, JHUNSI, NEAR INDIAN OIL TRIVENIPURAM, ALLAHABAD
Pan number :	AAGCS9845J

CLOSE

otices
Sale/Lease
rchitect, Engineer Certificate
t Registration & Editing
int Redressal
Notices

Friday, 8 Oct, 2021 | 06:38:08 PM

Point No 5
Promotor Details

Promoters Updation

Update Promoters details

Welcome : ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Promoters Updation

Select Promoter: ABHIYAAN BUILDCON PRIVA

Promoter Details:

Applicant Type *

Company

Company Name *

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Company Reg. No *

U45202UP1989PTC010507

Company Registration Certificate *

PAN Number *

AAGCS9845J

PAN Copy *

PAN-7626CopyOfPan.pdf

Browse... No file selected.

Only jpg,png and pdf files of maximum size of 100kb allowed.

Email *

verma.anubhav@gmail.com

Friday, 8 Oct, 2021 | 06:38:08 PM

Browse... No file selected.

Only jpg,png and pdf files of maximum size of 2mb allowed.

Main Objective *

ABHIYAAN BUILDCON WAS ESTABLISHED IN THE YEAR 1989 AT ALLAHABAD UP. THE COMPANY HAS BEEN SUCCESSFULLY

Date Of Incorporation *

24/02/1989

Upload Brief Detail of Enterprise *

PHOTO-7626MoAabhiyaan.pdf Browse... No file selected.

Only pdf files of maximum size of 2mb allowed.

Address *

14 IBRAHIMPUR, MAZRA KATKA, JHUNSI, NEAR INDIAN OIL TRIVENIPURAM, ALLAHABAD

9307502104

CIN/TAN Number *

U45202UP1989PTC010507

CIN/TAN Copy *

CIN-7626CertificateOfIncorporation.pdf

Browse... No file selected.

Only jpg,png and pdf files of maximum size of 100kb allowed.

Number of Projects Launced In Past 5 Years *

Nil

Name of Chairman *

ANUBHAV VERMA

Upload Photo of Chairman *

Browse... No file selected. Only jpg and png files of maximum size of 100kb allowed.

ADD MORE PARTNER/DIRECTOR

Friday, 8 Oct, 2021 | 06:38:08 PM

Name Of Partners/Directors etc	Address Of Partners/Directors etc	Photograph Of Partners/Directors etc	
CHARVI NIGAM	1 MG MARG CIVIL LINES PRAYAGRAJ 211001		Delete

Annual Audited Balance Sheet

No Data Found

Audited Balance Sheet Of Preceding year * balancesheet-7626BALANCEsheetABPL.pdf

Browse... No file selected. Only pdf files of maximum size of 2mb allowed.

Website Of Promoter * http://www.abplhomes.com/

Income Tax Return of proceeding 3 Years *

Only pdf files of maximum size of 2mb allowed.

Income_Tax_rt1-7626ITR 2018-19.pdf Browse... No file selected.

Income_Tax_rt2-7626ITR 2019-20.pdf Browse... No file selected.

Income_Tax_rt3-7626ITR 2020-21.pdf Browse... No file selected.

☐ I/We certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my/our knowledge and belief.

SAVE CLOSE

Annexure 5

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक फूलपुर प्रयागराज

क्रम संख्या 2021021015602

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 07/10/2021

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव

लेख का प्रकार : मुआयना

2008 वर्ष से 2021 तक

प्रतिफल की धनराशि 100

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 100

शुल्क वसूल करने का दिनांक 07/10/2021

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश 07/10/2021

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक फूलपुर प्रयागराज

भाग 1

भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से लगाया जाने वाला

उपनिबन्धक फूलपुर प्रयागराज

क्रम संख्या 2021021015602

अधिनियम 16 1908 की धारा 52 के अधीन रसीद

प्रस्तुतकर्ता या प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थी का नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव

2008 वर्ष से 2021 वर्ष तक

निष्पादक का नाम

लेख का प्रकार मुआयना

प्रतिफल की धनराशि 100

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 07/10/2021

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि 07/10/2021

या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक फूलपुर प्रयागराज

Vinod Kumar Srivastava
Advocate
UP Bar Council Reg. No.-3330/1985
Tehsil Canteen Parisar,
Tehsil Phulpur, District Prayagraj

Mobile No.-6393585237
Residence : Vill. & Post Kanehati,
Tehsil Phulpur, Prayagraj - 212402

Ref. ....

Date:-11/10/2021

To,
Technical Advisor,
RERA, Lucknow

Dear Sir,

SUBJECT : Title opinion Report Certifying Non encumbrance for the Property Part Portion of Arazi No. 1091, Mauza-Andhawa, Pargana-Jhunsi, Tehsil-Phulpur, District- Allahabad now Prayagraj, at present owned by Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mauza Katka, Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj.

I refer to your letter no. Nil, dated nil requesting me to furnish non encumbrances and certify and submit the Title cum Opinion Report about the land parcel at Arazi No. 1091, Mauja Andawa, Pargana Jhunsi, Tehsil Phulpur, District Prayagraj over which building plan for Citizen EWS LIG Housing Scheme is proposed to be built.

1- Description & area of the property proposed for the Project. Specific number(s) and address of property along with boundaries and measurements.

Part Portion of Arazi No. 1091, situated at Mauza-Andhawa, Pargana-Jhunsi, Tehsil-Phulpur, District- Allahabad now Prayagraj over which building plan for Citizen EWS LIG Housing Scheme is proposed to be built. Net plot Area for project – 0.2492 Hect or 2492 sq. mt

Bounded as under :- (As per sanctioned map)

North	-	Part of arazi 1090 and 1092
South	-	Part of arazi 1091 thereafter arazi 1159 mi
East	-	Part of arazi 1091
West	-	Part of arazi 1091 thereafter arazi 1159 mi

2- Name of Owner (s)

Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mazra Katka, Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj

3- Whether any Minor, Lunatics or UN-discharged insolvent is involved. Confirm that the party(s) has/have sufficient capacity to contract. Precautionary steps to be taken.

No interest of any Minor, Lunatics or UN-discharged insolvent is involved and the mortgagor has sufficient capacity to contract.

4- Whether the property is freehold or Leasehold. If Leasehold, then period of lease and if Freehold whether Urban Land Ceiling Act applies and permissions to tube obtained.

Free hold residential Property since the Urban Land Ceiling Act has been repealed. Hence is not applicable.

5- Source of Property i.e. self acquired or ancestral if ancestral then mode of succession and whether original will/probate is available.

The Present owner **Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mazra Katka, Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj** hold and acquired the free hold right/title of property in question by virtue of regd. sale deeds mentioned hereinafter.

6- Whether party (s) is/are in exclusive possession of property or it is leased/rented out to third party.

The party has actual and peaceful possession over the aforesaid property.

7- Whether the property is mutated in Municipal/revenue records and party's name is reflecting and if not, the reason thereof.

Yes, the records are maintained in the office of The Revenue Authority, Prayagraj (revenue records).

8- Whether all the original Title Deeds including antecedent Title Deeds and other relevant documents are available Please give detailed list.

a- Original & Certified Copy of Regd. sale deeds as detailed hereinunder.
b- Copy of CH-41 & 45.
c- Copy of Letter Prayagraj Development Authority, Prayagraj on dated 27/02/2021.
d- Copy of extract of Khatauni in Fasli Year 1426 to 1431.

9- Whether the Advocate has personally visited the Sub-Registrar. Revenue/Municipal office and examined the records.

Yes, I have personally visited the Sub-Registrar/Revenue/examined the records.

10- Whether the Search is being made for the period 30 years if no, reason thereof.

I have made a search of District Registrar's Index Book No. II in the office of Sub-Registrar Phulpur, Prayagraj from the date of the first document of title up to 30 years i.e. **from 1991 to 2021** as available and recorded and have to report that the property in question is at present free from all encumbrances, lien and charges whatsoever on the strength of search certificate and available records only.

11- Details of documents examined/scrutinized (this should be in chronological- order with serial numbers, type/nature of document, date of execution, parties, date of registration, details including the details of revenue/society records etc.)

Sl. No.	**Type/Nature of document (s)**	**Date of execution**	**No. Date of Registration/Lien revenue records/ builder/s records/society's records**	**Parties**
a-	Original & Certified Copy of Regd. Sale Deed	27/03/2021	Registration with Sub Registrar Phulpur, Allahabad now Prayagraj at Bahi No. 1, Zild No. 8495 on	Shyamlal Bind S/o Late Bahadur, Resident of Vill Andawa, Post Sarai Inayat, Pargana Jhunsi, Tehsil Phulpur, Dist. Prayagraj

W8

			pages 95 to 114 at Sl. No. 2818 on dated 27/03/2021	......Vendors Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mauza Katka, Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj ....Vendee
		27/03/2021	Registration with Sub Registrar Phulpur, Allahabad now Prayagraj at Bahi No. 1, Zild No. 8494 on pages 323 to 344 at Sl. No. 2809 on dated 27/03/2021	Shyamlal Bind S/o Late Bahadur, Resident of Vill Andawa, Post Sarai Inayat, Pargana Jhunsi, Tehsil Phulpur, Dist. Prayagraj ......Vendors Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mauza Katka, Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj ....Vendee
		27/03/2021	Registration with Sub Registrar Phulpur, Allahabad now Prayagraj at Bahi No. 1, Zild No. 8494 on pages 345 to 364 at Sl. No. 2810 on dated 27/03/2021	Shyamlal Bind S/o Late Bahadur, Resident of Vill Andawa, Post Sarai Inayat, Pargana Jhunsi, Tehsil Phulpur, Dist. Prayagraj ......Vendors Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mauza Katka, Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj ....Vendee
		27/03/2021	Registration with Sub Registrar Phulpur, Allahabad now Prayagraj at Bahi No. 1, Zild No. 8494 on pages 303 to 322 at Sl. No. 2808 on dated 27/03/2021	Shyamlal Bind S/o Late Bahadur, Resident of Vill Andawa, Post Sarai Inayat, Pargana Jhunsi, Tehsil Phulpur, Dist. Prayagraj ......Vendors Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mauza Katka,

vrg

				Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj ....Vendee

b- Copy of CH-41 & 45.

c- Copy of Letter Prayagraj Development Authority, Prayagraj on dated 27/02/2021.

d- Copy of extract of Khatauni in Fasli Year 1426 to 1431.

12-Tracing of chain of title in favour of the Party (s)/owner (s), starting from earliest document available. The nature of document/Deed conveying the title should be mentioned with description of parties along with the type of right it creates.

To trace out the chain of title in respect to property fully detailed in Para-1 hereof, I have inspected the available records as well as the Index Register No. II in the officer of Sub Registrar Phulpur, Prayagraj for last thirty years and it was traced out that Arazi No. 1091 area 0.5020 hect, situated at Mauza-Andhawa, Pargana-Jhunsi, Tehsil-Phulpur, District-Allahabad. It was found to owned by Ram Bharos, Ram Kripal and Ram Saran all S/o Janki the recorded owner in possession over Bhumidhari Arazi No. 1091 in recorded CH-41 & 45 and Khatauni in Fasli Year 1386 i.e. 1979 year. The inherited aforesaid property from legal heir and successor and thereafter the name of Bahadur was recorded over the said property in the revenue record. Subsequently Shyam Lal and Ramdev S/o Late Bahadur is recorded as legal heirs and successors. Afterwhich Ramdev has died and the names of his legal heirs and successors were mutuated in place of Ramdev in revenue records of Khatauni. Title and interest over the aforesaid property and their names have been consequently mutated in revenue records of tehsil concerned alongwith as Sah-bhumidhar with transferable rights.

Later on Shyam Lal S/o Bahadur sold and transferred of Arazi No. 1056, 1091, 1096, 1159mi area 0.3740 hect. Or 3750. Sq Meter, situated at Mauza-Andhawa, Pargana-Jhunsi, Tehsil-Phulpur, District- Prayagraj the said property in favour of **Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mazra Katka, Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj** vide registered sale deeds dated 27/03/2021. This sale Deed is registered in the office of Sub Registrar, Phulpur, Allahabad/Prayagraj as mentioned above after completing the entire formalities in this respect.

Thus on the basis of above noted registered sale deeds the name **Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mazra Katka, Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj** became owner over the Arazi no. 1091 in Mauza-Andhawa, Pargana-Jhunsi, Tehsil-Phulpur, District- Allahabad/Prayagraj and his name came into revenue records. From perusal of Khatauni of Fasli Year 1426-1431. I found the name of **Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mazra Katka, Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj** was duly recorded over the property in question as owner with transferable rights.

The property in question is comes within the preview of **SARFAESI Act, 2002.**

13- Whether there is any doubt/suspicion about the genuineness of the original documents, if yes, then specify.

The aforesaid title deeds i.e. **regd. Sale deeds dated 27/03/2021** have been scrutinized and are found to have been duly executed on payment of appropriate stamp duty. The stamps used therein are genuine. The said deeds are duly registered in the office of concerned

registration authority as per particulars mentioned in **Point No. 11** hereof. The aforesaid document is being produced by proper and genuine source as such there is no doubt or suspicion about the genuineness and existence of the aid deeds.

14- Comments on enforceability of Property under SARFAESI Act, 2002 :

That the provision of the **SARFAESI Act, 2002** will be fully applicable and enforceable over the properties constructed hereinafter.

On the basis of above observation, you may please take further necessary action in this record at your end.

I am returning here with Certified copy of Regd. sale deeds and along with inspection receipts/search certificate to you.

15-Final Certification/Opinion :

I have gone through the attached certified copies of registered sale deeds which were four in number Dated 27/03/2021 with respect to Arazi No. 1056, 1091, 1096, 1159mi area 0.3740 hect. Or 3750. Sq Meter executed by the land lord respectively in favour of lead member of New Suncity Consortium **M/s Abhiyaan Buildcon Private Limited Prayagraj through its Director Mr. Anubhav Verma S/o Shri Nishith Verma R/o 14, Ibrahimpur Mauza Katka, Near Indian Oil Depot, Jhunsi, Allahabad/Prayagraj** duly registered before sub-registrar Phulpur, Prayagraj the description of registration details are as follows:

1- Bahi No. 1, Zild No. 8494 on pages 303 to 322 at Sl. No. 2808 on dated 27/03/2021

2- Bahi No. 1, Zild No. 8494 on pages 345 to 364 at Sl. No. 2810 on dated 27/03/2021

3- Bahi No. 1, Zild No. 8495 on pages 95 to 114 at Sl. No. 2818 on dated 27/03/2021

4- Bahi No. 1, Zild No. 8494 on pages 323 to 344 at Sl. No. 2809 on dated 27/03/2021

Apart from above the revenue record has been also examined by me according to which the Khatauni of Fasli Year 1426 to 1431 bearing Khata No. 00445 of village Andhawa, Pargana-Jhunsi, Tehsil-Phulpur, District- Allahabad now Prayagraj, reflects the name of the purchaser the aforementioned company and entries in the revenue record has been made under the influence of mutation order dated 05/06/21 passed by Tehshildar Phulpur, Prayagraj.

As a result of above examination and inspection, my opinion is as follows :

That it is clear from the above examination and inspection which was conducted by me that the vendee is absolute owners of Net Plot area used for the project under the name and style of CITIZEN EWS LIG HOUSING SCHEME in view of aforementioned sale deeds and revenue record and the promotor M/s Abhiyaan Buildcon Pvt. Ltd. is in peaceful possession of the site and has commenced civil construction work of the said project. The developer has also built a compound wall and bounded the property. As far as the question of title is concerned, the entire project land wholly vests in favour of said developers.

Enclosures : As above

Your Faithfully

Vinod Kumar Srivastav

Vinod Kumar Srivastava

Advocate

Tahseel Phoolpur

कार्यालय उपनिबंधक फूलपुर फूलपुर जनपद प्रयागराज

आवेदन संख्या :2202102101461

प्रमाण संख्या :22021021001306

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैन्युअल के नियम 328)

श्री- **शिव कुमार एड०** पुत्र- ,,,, तहसील **फूलपुर** जिला **प्रयागराज** ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण :	ग्राम/मोहल्ला - अन्दावा, वार्ड/परगना- झूसी, आवासीय- अभ्यान विन्दकान प्रा० लि० द्वारा निदेशक अनुभव वर्मा पुत्र निशीथ वर्मा व सिटीजन हाउसिंग एंड डेवलपिंग को ऑपरेटिव सोसाइटी लि० द्वारा सचिव निशीथ वर्मा पुत्र स्व० आर० एन० वर्मा , मौजा-अन्दावा,पर०-झूंसी,तह-फूलपुर।आराजी न०-1091 रकवा-2492 वर्गमीटर ,चौ०-पूरब-आ० सं-1096,पश्चिम-आ० सं०-1159,उत्तर-आ० सं०-1090,1092,1093,दक्षिण-आ० सं०-1159 ,

मै एतत्द्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक **01/01/2010** से दिनांक **08/10/2021** तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमे निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :11-10-2021

नोट - 1.इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है,और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं,परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **अम्बुज त्रिपाठी नि० लि०।**
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **अम्बुज त्रिपाठी नि० लि०।**

11-10-2021

उपनिबन्धक फूलपुर
प्रयागराज
उप निबन्धक
फूलपुर, प्रयागराज

Annexure 5

SITE SUPERIMPOSED ON REVENUE MAP

KEY PLAN
(NOT TO SCALE)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
				से	तक		
[illegible]	1091	1	8494	303	322	2808	[illegible]
[illegible]	1091	1	8494	323	344	2809	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1091	1	8495	95	114	2818	[illegible]

SAJRA PLAN

APPLIED LAND AREA AS PER SALE DEED OF ARAZI NO. 1091

APPLIED LAND AREA (SAJRA) MAP AS PER SALE DEED OF ARAZI NO. 1091

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED
CONSORTIUM

Director

ABHIYAAN BUILDCON PVT. LTD.

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : अन्दावा   परगना : (झूसी)   तहसील : फूलपुर   जनपद : प्रयागराज   फसली वर्ष : 1426-1431   भाग : 1   खाता संख्या : 00445

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।				
श्यामलाल / बहादुर / नि. ग्राम	1056	0.1140		
लक्ष्मी नारायण / रामदेव / नि.ग्राम	1057	0.1140		
लवकुश / रामदेव / नि.ग्राम	1091	0.5020		
सुरेन्द्र / राम देव / नि.ग्राम	1098	0.1710		
वीरेन्द्र / राम देव / नि.ग्राम	1099	0.0800		
ज्ञान चन्द्र / राम देव / नि.ग्राम	1115	0.0340		
अनिल ना0 बा0 उम्र 12वर्ष / राम देव संरक्षिका अनारकली (माता) / नि.ग्राम	1159मि	0.1480		
सुनील ना0 बा0 उम्र 10 वर्ष / राम देव संरक्षिका अनारकली (माता) / नि.ग्राम	733	0.3540		
अनार कली पत्नी / राम देव / नि.ग्राम	889	0.2080		

आदेश:

1428फ0 आदेशानुसार तहसीलदार फूलपुर वाद सं0 2090/T201902030209451 ता0 फै0 19.02.2020 द्वारा आदेश हुआ कि मौजा अन्दावा परगना झूसी तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1426-1431फ0 के खाता सं0 445 की गाटा सं0 1057 रकबा 0.1140हे0 में से 1/2 भाग यानी 0.0570हे0 अपना सम्पूर्ण अंश के म0 सं0 फलाहेट पर से विक्रेता श्याम लाल उर्फ श्याम लाल बिन्द पुत्र बहादुर निवासी ग्राम अन्दावा पो0 सराय इनायत परगना झूसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज का नाम निरस्त करके क्रेता सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपिंग सहकारी आवास समिति लिमिटेड पंजीयन सं0 3163/2003 द्वारा सचिव निशिथ वर्मा पुत्र स्व0 आर0एन0 वर्मा निवासी 1एम0जी0 मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज का नाम पंजीकृत बैनामा दि0 03.06.2010 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जावे। दि0 04.03.2020 मी0 दि0 17.09.2020

1428फ0 आदेशानुसार तहसीलदार फूलपुर वाद सं0 4464 /T202002030204464 ता0 फै0 27.10.2020 को आदेश हुआ कि खाता सं0 445 की गाटा सं0 1056 रकबा 0.1140हे0 व आराजी सं0 1057 रकबा 0.1040 हे0 व 1091 रकबा 0.5020हे0 व 1096 रकबा 0.1710हे0 व 1099 रकबा 0.0800हे0 व 1115

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त अंकिडे मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अपतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

ABHIYAAN ... PRIVATE LIMITED
Director

रकबा 0.0340 हे0 इस प्रकार कुल 6 गाटा कुल रकबा 1.0150हे0 के 1/2 भाग 0.0575हे0 मे से 1/8 भाग यानी 0.0635हे0 सम्पूर्ण अंश के भू0 रा0 पत्रावेट पर से विक्रेता वीरेन्द्र कुमार बिन्द पुत्र रामदेव बिन्द निवासी ग्राम अन्दावा पो0 सराय इनायत परगना झूंसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज का नाम निरस्त करके क्रेता सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपिंग सहकारी आवास समिति लिमिटेड पंजीयन सं0 3163/2003 द्वारा सचिव मिथिलेश वर्मा पुत्र स्व0 आर0एन0 वर्मा निवासी 1एम0जी0 मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज का नाम पंजीकृत बैनामा दि0 01.06.2020 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जावे। दिनांक 10/11/2020 मौके दिनांक 11/01/2020

1428फ. आदेशानुसार तहसीलदार फूलपुर वाद सं. 3074/T202102030200878 तारीख 16/02/2021 को आदेश दिया जाता है कि मौजा - अन्दावा, परगना, झूंसी, तहसील, फूलपुर, जनपद, प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00445 की गाटा सं0 1056 रकबा 0.1140हे0 व 1057 रकबा 0.1140हे0 व 1091 रकबा 0.5020हे0 व 1096 रकबा 0.1710हे0 व 1099 रकबा 0.0800हे0 व 1115 रकबा 0.0340हे0 कुल 6 गाटा योग रकबा 1.0110हे के 1/2 भाग 0.5055हे0 मे से 1/8 भाग यानी 0.0632हे0 अपना सम्पूर्ण अंश भू0 राजस्व पत्रावेट पर से विक्रेता सुरेन्द्र कुमार बिन्द पुत्र रामदेव निवासी ग्राम अन्दावा पो0 सरायइनायत परगना झूंसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज का नाम निरस्त करके क्रेता सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपिंग सहकारी आवास समिति लि0 पंजीयन सं0 3163/2003 द्वारा मिथिलेश वर्मा पुत्र स्व0 आर0 एन0वर्मा निवासी ए/1 एम0जी0मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज का नाम पंजीकृत बैनामा दिनांक 20.11.2020 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जावे 18/01/2021 मौके दि० 8/03/2021

1428फ0 आदेशानुसार तहसीलदार फूलपुर वाद सं0701/T202102030204235 तारीख0 05/06/2021 को आदेश दिया जाता है कि मौजा - अन्दावा, परगना झूंसी, तहसील, फूलपुर,

CITIZEN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Director

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण आवतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

जनपद, प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00445 की गाटा सं0 1056 रकबा 0.1140हे0 व 1091 रकबा 0.5020हे0 व 1096 रकबा 0.1710हे0 व 1159मि0 रकबा 0.1480हे0 कुल 4 गाटा योग रकबा 0.9350हे0 का 1/2 भाग यानी 0.4675हे0 के 1/5 भाग यानी 935 वर्गमीटर भू0 राजस्व पत्रावली पर विक्रेता श्याम लाल उर्फ श्याम लाल बिन्द पुत्र बहादुर निवासी ग्राम अन्दावा परगना झूसी तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज का नाम खारिज करके क्रेता अभ्यान बिल्डकान प्राइवेट लि0 द्वारा निदेशक अनुभव वर्मा पुत्र शिशिर वर्मा निवासी ग्राम इब्राहिमपुर मजरा कटका परगना झूसी तहसील फूलपुर प्रयागराज का नाम पंजीकृत बैनामा दिनांक 27.03.2021 के आधार पर बतौर सहखातेदार भूमिधर दर्ज किया जाये 08/06/2021 फीड दि0 10/06/2021

1428फ0 आदेशानुसार तहसीलदार फूलपुर वाद सं0700/T202102030204234 तारीख0 05/06/2021 को आदेश दिया जाता है कि मौजा - अन्दावा, परगना झूसी, तहसील, फूलपुर, जनपद, प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00445 की गाटा सं0 1056 रकबा 0.1140हे0 व 1091 रकबा 0.5020हे0 व 1096 रकबा 0.1710हे0 व 1159मि0 रकबा 0.1480हे0 कुल 4 गाटा योग रकबा 0.9350हे0 का 1/2 भाग यानी 0.4675हे0 के 1/5 भाग यानी 935 वर्गमीटर भू0 राजस्व पत्रावली पर विक्रेता श्याम लाल उर्फ श्याम लाल बिन्द पुत्र बहादुर निवासी ग्राम अन्दावा परगना झूसी तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज का नाम खारिज करके क्रेता अभ्यान बिल्डकान प्राइवेट लि0 द्वारा निदेशक अनुभव वर्मा पुत्र शिशिर वर्मा निवासी ग्राम इब्राहिमपुर मजरा कटका परगना झूसी तहसील फूलपुर प्रयागराज का नाम पंजीकृत बैनामा दिनांक 27.03.2021 के आधार पर बतौर सहखातेदार भूमिधर दर्ज किया जाये 08/06/2021 फीड दि0 15/06/2021

1428फ0 आदेशानुसार तहसीलदार फूलपुर वाद सं0 699/T202102030204236 तारीख0 05/06/2021 को आदेश

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण आनत है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Director

दिया जाता है कि मौजा - अन्दावा, परगना झूँसी, तहसील फूलपुर, जनपद, प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00445 की गाटा सं0 1056 रकबा 0.1140हे0 व 1091 रकबा 0.5020हे0 व 1096 रकबा 0.1710हे0 व 1159मि0 रकबा 0.1480हे0 कुल 4 गाटा योग रकबा 0.9350हे0 का 1/2 भाग यानी 0.4675हे0 के 1/5 भाग यानी 935 वर्गमीटर भू0 राजस्व पत्रावली पर विक्रेता श्याम लाल उर्फ श्याम लाल बिन्द पुत्र बहादुर निवासी ग्राम अन्दावा परगना झूँसी तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज का नाम निरस्त करके क्रेता आश्यान बिल्डकान प्राइवेट लि0 द्वारा निदेशक अनुभव वर्मा पुत्र निशीथ वर्मा निवासी ग्राम इब्राहिमपुर मजरा कटका परगना झूँसी तहसील फूलपुर प्रयागराज का नाम पंजीकृत बैनामा दिनांक 27.03.2021 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जावे 08/06/2021 फीड दि0 15/06/2021

1428फ0 आदेशानुसार तहसीलदार फूलपुर वाद सं0 695/T202102030204237 तारीख0 05/06/2021 को आदेश दिया जाता है कि मौजा - अन्दावा, परगना झूँसी, तहसील, फूलपुर, जनपद, प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00445 की गाटा सं0 1056 रकबा 0.1140हे0 व 1091 रकबा 0.5020हे0 व 1096 रकबा 0.1710हे0 व 1159मि0 रकबा 0.1480हे0 कुल 4 गाटा योग रकबा 0.9350हे0 का 1/2 भाग यानी 0.4675हे0 के 1/5 भाग यानी 935 वर्गमीटर भू0 राजस्व पत्रावली पर विक्रेता श्याम लाल उर्फ श्याम लाल बिन्द पुत्र बहादुर निवासी ग्राम अन्दावा परगना झूँसी तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज का नाम निरस्त करके क्रेता आश्यान बिल्डकान प्राइवेट लि0 द्वारा निदेशक अनुभव वर्मा पुत्र निशीथ वर्मा निवासी ग्राम इब्राहिमपुर मजरा कटका परगना झूँसी तहसील फूलपुर प्रयागराज का नाम पंजीकृत बैनामा दिनांक 27.03.2021 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जावे 08/06/2021 फीड दि0 15/06/2021

ASHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Director

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अपठन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

योग	9	1.7250

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

ABHIYAAN BUILDCON PRIVATE LIMITED

Director

संख्या- 267/2016/3267/आठ-1-16-80विविध/10

प्रेषक,

घनधारी यादव,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2016

विषय: सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नयी आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3188/8-1-13-80विविध/2010, दिनांक-05 दिसम्बर, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्गत की गई है। प्रश्नगत नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु विभिन्न 'स्टेक होल्डर्स' यथा - आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों व निजी विकासकर्त्ताओं से शासन को सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन पर शासन व आवास बन्धु में 'स्टेकहोल्डर्स' के साथ हुए विचार-विमर्श के क्रम में उक्त नीति के कतिपय प्राविधानों को पुनरीक्षित/संशोधित किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है।

2- अतएव सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-3188/8-1-13-80विविध/2010, दिनांक-05 दिसम्बर, 2013 के अधीन निर्गत नीति के कतिपय प्राविधानों के पुनरीक्षण की अपेक्षाओं तथा इसके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन/स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:-

http://shasanadesh.up.nic.in

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>शासनादेश संख्या-3188/8-1-13-80विविध/2010, दिनांक-05 दिसम्बर, 2013 का प्राविधान</th><th>संशोधन/स्पष्टीकरण</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>प्रस्तर-2(1) आय सीमा का निर्धारण - भारत सरकार/हडको द्वारा दिनांक 14-12-12 से पुनरीक्षित मानकों के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. परिवार की वार्षिक आय रु.1.0 लाख तक तथा एल.आई.जी. परिवार की वार्षिक आय रु. 1.0 लाख से अधिक परन्तु रु. 2.0 लाख तक होगी। भविष्य में भी हडको/भारत सरकार द्वारा मानक पुनरीक्षित करने पर उसे यथावत् लागू किया जाएगा। हडको/भारत सरकार द्वारा मानकों का पुनरीक्षण न करने पर वार्षिक आय सीमा को प्रत्येक वर्ष 'कास्ट इण्डेक्स' के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।</td><td>भारत सरकार/हडको के सर्कुलर संख्या-88/डी.एफ/2015, दिनांक 05.11.2015 द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के परिवारों की वार्षिक आय का पुनरीक्षण किया जा चुका है, जिसके क्रम में उक्त आय वर्गों की पुनरीक्षित आय निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-
<table><tr><th>आय वर्ग</th><th>वार्षिक आय</th></tr><tr><td>ई.डब्ल्यू.एस.</td><td>रु. 3.0 लाख तक</td></tr><tr><td>एल.आई.जी.</td><td>रु. 3.0 लाख से अधिक एवं रु. 6.0 लाख तक</td></tr></table>भविष्य में हडको/केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा उक्त मानक पुनरीक्षित करने पर उन्हें यथावत् लागू किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>प्रस्तर-2(2) 'बिल्ट-अप एरिया' के मानक
ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए ग्रुप हाउसिंग निर्माण में आवासीय इकाईयों के लिए 'बिल्ट-अप एरिया' के मानक निम्नवत् होंगे:-<table><tr><th>आय वर्ग</th><th>बिल्ट-अप एरिया (व.मी.)</th></tr><tr><td>ई.डब्ल्यू.एस.</td><td>25-35</td></tr><tr><td>एल.आई.जी.</td><td>35 से अधिक 48 तक</td></tr></table></td><td>ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. परिवारों की वार्षिक आय व भवनों की सीलिंग कास्ट पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप तथा इन आय वर्गों के परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप निवास-योग्य समुचित तल क्षेत्रफल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिल्ट-अप एरिया के मानक निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं-<table><tr><th>आय वर्ग</th><th>बिल्ट-अप एरिया (व.मी.)</th></tr><tr><td>ई.डब्ल्यू.एस.</td><td>35-40</td></tr><tr><td>एल.आई.जी.</td><td>41-48</td></tr></table><u>टिप्पणी:-</u>
ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों में कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9.5 वर्गमीटर होगा और उसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर होगी।</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>प्रस्तर-2(3) (2) योजनान्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. एवं</td><td></td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

	एल.आई.जी. भवनों का प्रतिशत **स्पष्टीकरण**-'शेल्टर फीस' का तात्पर्य ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. हेतु 20 प्रतिशत इकाईयों के निर्माण के एवज में विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को देय फीस से है, जिसकी गणना किसी योजना में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की कुल संख्या के सापेक्ष ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के बिल्ट-अप एरिया क्रमशः 25 व.मी. एवं 35 व.मी. के समतुल्य भूमि हेतु सम्बन्धित योजना की भूमि के वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार की जाएगी:- **(आवासीय इकाईयों की कुल संख्या×(25+35)×** **वर्तमान सर्किल रेट का आधा)** 10	**स्पष्टीकरण**-'शेल्टर फीस' का तात्पर्य ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. हेतु 20 प्रतिशत इकाईयों के निर्माण के एवज में विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को देय फीस से है, जिसकी गणना किसी योजना में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की कुल संख्या के सापेक्ष ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के 'बिल्ट-अप एरिया' क्रमशः 35 वर्ग मीटर मी. एवं 41 वर्ग मीटर के समतुल्य भूमि हेतु सम्बन्धित योजना की भूमि के वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार की जाएगी:- **(आवासीय इकाईयों की कुल संख्या × (35+41) ×** **वर्तमान सर्किल रेट का आधा)** 10 4.0 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में शेल्टर फीस का भुगतान करने वाले विकासकर्ताओं को ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के कुल तल क्षेत्रफल के समतुल्य आवासीय उपयोग का निःशुल्क एफ.ए.आर.ए, जो बेसिक एफ.ए.आर (+) क्रय-योग्य एफ.ए.आर. के अतिरिक्त होगा, अनुमन्य होगा, जिसके सापेक्ष समानुपातिक रूप से आवासीय इकाईयां अनुमन्य होंगी।
(4)	**प्रस्तर-2(3) (3) 'शेल्टर फीस'** 'शेल्टर फीस' से प्राप्त होने वाली धनराशि विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा एक अलग बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसे केवल ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग के लिए भूमि जुटाव, भूमि विकास एवं भवन निर्माण और उससे सम्बन्धित कार्यों के उपयोग में ही लाया जाएगा।	'शेल्टर फीस' के उपयोग में निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा:- (2) शेल्टर फीस के रूप में जमा धनराशि का उपयोग केवल ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग के लिए भूमि क्रय/जुटाव, अवस्थापना विकास तथा उक्त आय वर्गों के भवनों के 'सुपरस्ट्रक्चर' निर्माण से सम्बन्धित

http://shasanadesh.up.nic.in

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>किसी भी कार्य अथवा समस्त कार्यों के लिए किया जा सकेगा।

(3) शेल्टर फीस के उपयोग हेतु प्राधिकरण/परिषद बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(4) शेल्टर फीस के रूप में जमा धनराशि का उपयोग यथासम्भव प्राधिकरण/परिषद् की उसी योजना में किया जाएगा, परन्तु उसी योजना में भूमि उपलब्ध न होने अथवा मानकों के अनुसार उस योजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों का संतृप्तीकरण होने की दशा में उसी नगर में अन्य उपयुक्त स्थल पर उपयोग किया जा सकेगा।

(5) विकास प्राधिकरण/परिषद द्वारा शेल्टर फीस के खाते में जमा धनराशि का 'डायवर्जन' अन्य प्रयोजनों हेतु नहीं किया जाएगा तथा इसके उपयोग का लेखा-जोखा रखा जाएगा और प्राधिकरण/परिषद् बोर्ड की आगामी बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>(5)</td>
<td>प्रस्तर-2(4) आवासीय इकाईयों की 'सीलिंग कास्ट' हडको द्वारा दिनांक 14.12.2012 से पुनरीक्षित मानकों के अनुसार ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का सीलिंग मूल्य क्रमशः रु. 3.25 लाख तथा रु. 7.00 लाख इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित किया जाता है कि उक्त सीलिंग कास्ट ई.डब्लू.एस. भवन के 25 वर्गमीटर 'बिल्ट-अप एरिया' तथा एल.आई.जी. भवन के 35 वर्गमीटर 'बिल्ट-अप एरिया' के लिए प्रभावी होगी। बिल्ट-अप एरिया उक्त से अधिक होने पर भवनों के वास्तविक 'बिल्ट-अप एरिया' के सापेक्ष 'प्रो-राटा' (समानुपातिक) आधार पर सीलिंग कास्ट आंकलित की जा सकती है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सीलिंग कास्ट 20 प्रतिशत अधिक हो सकती है। भविष्य में हडको/भारत सरकार द्वारा 'सीलिंग कास्ट' पुनरीक्षित करने पर यथावत् लागू होंगे। हडको/भारत सरकार द्वारा सीलिंग कास्ट" में पुनरीक्षण न करने पर प्रत्येक वर्ष 'कास्ट इन्डेक्स' के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।</td>
<td>भारत सरकार/हडको के सर्कुलर संख्या-88/डी.एफ./2015, दिनांक 05.11.2015 द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के भवनों की सीलिंग कास्ट का पुनरीक्षण किया जा चुका है, जिसके क्रम में उक्त आय वर्गों के भवनों की पुनरीक्षित सीलिंग कास्ट निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

<table><tr><td>आय वर्ग</td><td>सीलिंग कास्ट</td></tr><tr><td>ई.डब्ल्यू.एस.</td><td>रु. 4.50 लाख</td></tr><tr><td>एल.आई.जी.</td><td>रु. 9.0 लाख</td></tr></table>
टिप्पणी:-

ई.डब्ल्यू.एस. भवन के लिए उक्त सीलिंग कास्ट 35.0 वर्गमीटर बिल्ट-अप एरिया तथा एल.आई.जी. भवन के लिए 41.0 वर्गमीटर बिल्ट-अप एरिया के लिए प्रभावी</td>
</tr>
</table>

		होगी। बिल्ट-अप एरिया उक्त से अधिक होने पर भवनों के वास्तविक बिल्ट-अप एरिया के सापेक्ष 'प्रो-राटा' (समानुपातिक) आधार पर सीलिंग कास्ट आंकलित की जा सकेगी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सीलिंग कास्ट 20 प्रतिशत अधिक हो सकती है। भविष्य में हडको/केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा 'सीलिंग कास्ट' के मानक पुनरीक्षित करने पर यथावत् लागू होंगे।
(6)	प्रस्तर-2(4)(अ) भवन निर्माण हेतु 'परफार्मेन्स गारण्टी' ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी भवनों के सापेक्ष देय बैंक गारन्टी के स्थान पर यह विकल्प होगा कि विकासकर्ता द्वारा योजना के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि, जो विक्रय-योग्य हो, प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् के पक्ष में बन्धक/गिरवी रखी जा सकती है। यह भूमि आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्यों के सापेक्ष बंधक/गिरवी रखी जाने वाली भूमि के अतिरिक्त होगी। बंधक/गिरवी रखी जाने वाली भूमि को ले-आउट के चिन्हित करते हुए 'मोर्टगेज डीड' निष्पादित करनी अनिवार्य होगी, जिसे ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के निर्माण की प्रगति के साथ-साथ समानुपातिक रूप से अवमुक्त किया जाएगा।	ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के निर्माण के सापेक्ष देय बैंक गारन्टी के स्थान पर यदि विकासकर्ता द्वारा 'परफार्मेन्स गारण्टी' के रूप में योजना के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि (जो विक्रय योग्य हो) विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् के पक्ष में बंधक/गिरवी रखी जाती है, तो विकासकर्ता को ऐसी बंधक/गिरवी रखी भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि विकासकर्ता द्वारा योजना के समस्त विकास एवं निर्माण कार्य एकीकृत एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो सके।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि, शासनादेश संख्या-3188/आठ-1-13-80विविध/2010, दिनांक 05.12.2013 के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4- कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
पनधारी यादव
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 267/2016/3267(1)/आठ-1-16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास एवं निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश।

(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(4) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।

(5) गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
शिव जनम चौधरी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

पत्रांक :02/प्र0अ0(त0स0)/जोन–5/इन्टीग्रेटेड/वि0प्रा0/2020–21 दिनांक :25/02/2021

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित तलपट मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री अनुभव वर्मा, डायरेक्टर, अम्यान बिल्डकॉन प्रा0लि0 लीड मेम्बर, न्यू सनसिटी कन्सोर्शियन मौजा–अन्दाँवा एवं मौजा–बन्धवाँ ताहिरपुर, परगना झूँसी, तहसील–फूलपुर, जनपद प्रयागराज के जोन संख्या (5) के अर्न्तगत प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014 के तहत लाईसेन्स प्राप्त न्यू सनसिटी टाउनशिप के तलपट मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष, प्र0वि0प्रा0 द्वारा दिनांक 18–02–2021 को निम्नाकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की गयी है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 540 अदद वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक/विकासकर्ता का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. भवन का निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानको पर ही करना होगा, भवन की संरचना एवं सुरक्षा एवं गुणवत्ता का दायित्व आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी का होगा।
7. भवन का निर्माण कार्य स्ट्रक्चरल मानको पर करना होगा।
8. स्वीकृत D.P.R एवं तलपट मानचित्र के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य के अन्तर्गत रोड, सीवर, पार्क, विद्युत, वाटर लाईन, इलेक्ट्रिक कार्य, नालियाँ एवं क्रॉसिंग, कूड़े घर आदि का निर्माण विकासकर्ता कम्पनी को स्वयं करना होगा।
9. बन्धक रखी गयी भूमि पर स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्राधिकरण द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी की होगी।
10. प्रस्तुत भू–विन्यास मानचित्र में सृजित किये भूखण्डों का उपविभाजन निषिद्ध होगा।

11. **O.D.R** मार्ग से योजना को जाने वाले 30 मीटर चौड़ी सड़क की भूमि की व्यवस्था विकासकर्ता को स्वयं करनी होगी, जिस हेतु विकासकर्ता द्वारा भू-स्वामी से अण्डर टेकिंग एवं आबादी के परिवार रजिस्टर तथा भूखण्ड के खसरे की प्रति दी गयी है। इस हेतु दिये गये शपथ पत्र (30AE559317 दिनांक 19.01.2021) का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
12. उ0प्र0 में भू-सपंदा (विनियम) अधिनियम 2016 शासन की अधिसूचना संख्या-1458/8-3-16-65विविध/2016 दिनांक 28.10.2016 लागू हो चुका है, अतएव प्रोजेक्ट को 'रेरा' अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत कराना होगा एवं उ0प्र0 भू-सपंदा (विनियम) अधिनियम में निर्धारित नियम एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
13. आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी द्वारा दिये गये शपथ पत्र (CF 470008, CF 470007 दिनांक 18.01.2021) के शपथ संख्या-1 से 12 तक का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
14. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाईसेन्स आधारित प्रणाली) में दिये गये सभी शर्तो/मानको का अनुपालन नीति के अनुसार करना आवश्यक है। प्रोजेक्ट में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 में निहित नियमो/शर्तो के अधीन निस्तारण किया जायेगा।
15. विकास कार्यो में लेबर एक्ट, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानो का पालन करना होगा।
16. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश संख्या-996/एफ-1- 2-2003 दिनांक 02.07.2003 में निर्देश दिये गये हैं कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 के प्रस्तर-1 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में जिस भूमि का अंकन तालाब के रूप में है, उसे तालाब के स्वरूप में रखा जाय और उपयोगी बनाया जाय।
17. ग्राम पंचायतो/स्थानीय प्राधिकरणो के प्रबन्धन में निहित भूमियो के पुर्नग्रहण एवं विनियम हेतु सामान्य सिद्वान्तो के निर्धारण हेतु उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ से जारी शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के अनुच्छेद 5(6) व 5(11) में दिये गये प्रावधानो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, इस हेतु आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी द्वारा दिये गये शपथ पत्र (CF 855089 दिनांक 18.02.2021) का अक्षरशः अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
18. रिट याचिका (सी) 13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के कम में शासनादेश संख्या-1220/आठ-3-19-23विविध/2016 दिनांक 04 नवम्बर, 2019 के प्राविधानानुसार निर्माण गतिविधियो से उत्सर्जित धूल तथा वायु प्रदूषण के प्रभावी रोक-थाम हेतु निम्नवत् व्यवस्था की जाय :-

- निर्माण सामग्री को निर्धारित स्थलों पर ढक कर रखा जाय तथा समुचित प्रकार से पानी का छिड़काव किया जाय।
- निर्माण सामग्री को लाने व ले जाने वाले वाहनों के टायरों/बॉडी की भली-भांति धुलाई की जाय तथा निर्माण सामग्री को ढक कर ले जाया जाय।
- निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक ढका कर ले जाया जाय तथा सड़कों के किनारे अनियंत्रित रूप से एकत्रित न किया जाय।

19. प्रोजेक्ट में 498 आवासीय भूखण्ड सृजित किये गये है, स्वीकृत आवासीय भूखण्डो के सापेक्ष 10-10% ie. अर्थात् 50-50 EWS/LIG श्रेणी के फ्लैटो का निर्माण बाध्यकारी है। प्रोजेक्ट में इन श्रेणी के फ्लैटो के निर्माण हेतु कम्पनी/विकासकर्ता द्वारा 56-56 EWS/LIG श्रेणी के फ्लैटो का निर्माण भूतल+3 तल पर अलग ब्लाक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी को भूखण्डीय विकास के साथ-साथ अनुपातिक रूप से EWS/LIG श्रेणी के फ्लैटो का निर्माण कराना होगा। EWS/LIG श्रेणी के फ्लैटो का आवंटन प्रभावी शासनादेश के प्रावधानानुसार ही होगा।
20. ले-आउट में निर्धारित एरिया में पार्क का विकास कार्य अनिवार्य रूप से करना होगा एवं पार्क में कोई स्थायी/अस्थायी निर्माण अनुमन्य नही होगा।
21. स्वीकृत प्रोजेक्ट में सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत नर्सरी/प्राईमरी स्कूल, चिकित्सा सुविधा, आंगनबाड़ी केन्द्र, सामाजिक सुविधा, व्यवसायिक काम्पलेक्स के मानचित्र पृथक रूप से स्वीकृत कराने होंगे।
22. सृजित आवासीय भूखण्ड 498 के भूखण्ड धारको को प्रयागराज विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत कराना होगा।
23. प्राधिकरण एवं मैसर्स अभ्यान बिल्डकॉन प्रा0लि0 थ्रू डायरेक्टर अनुभव वर्मा के मध्य निष्पादित विकास अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तो 1 लगायत 22 में निहित शर्तो/प्रतिबन्धो का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
24. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के प्रस्तर-11.1 के अनुसार आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य किये जाने के मद में प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखी जाने वाली 20 प्रतिशत भूमि (11577.00 वर्गमी.) विकासकर्ता द्वारा विशिष्टियो के अनुरूप जैसे-जैसे विकास कार्य पूर्ण किये जायेंगे, उसी अनुपात में बन्धक रखी गयी भूमि विकासकर्ता के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी। विकासकर्ता को परफार्मेन्स गारन्टी के प्रस्तर-11.1 का अक्षरशः अनुपालन बाध्याकारी होगा।
25. EWS/LIG भवनो के निर्माण के परफार्मेन्स गारन्टी के रूप में भूमि बन्धक रखी जानी है। आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी द्वारा लाईसेन्स निर्गत किये जाने की प्रकिया में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा क्षेत्रफल 10267.83 वर्गमी. अर्थात् 2.537 एकड़ भूमि बन्धक रखी गयी है। EWS/LIG भवनो के निर्माण के लिये परफार्मेन्स गारन्टी के रूप में कोई पृथक भूमि बन्धक नही रखी जा रही है, बल्कि पूर्व में लाईसेन्स की प्रकिया में बन्धक रखी गयी भूमि यथावत् प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रहेगी। बन्धक रखी गयी भूमि को विकसित किये जाने का अधिकार विकासकर्ता का होगा, परन्तु उस पर निर्मित/सृजित किसी सम्पत्ति का विकय प्राधिकरण से उक्त भूखण्ड अवमुक्त होने के उपरान्त ही किया जाय।
26. प्राधिकरण/शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा प्राधिकरण द्वारा भविष्य में यदि बढे विकास शुल्क अथवा त्रुटिवश या भूलवश गणना में छूटे अन्य किसी शुल्को को आरोपित कर मॉग की जाती है तो वह शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
27. प्र0वि0प्रा0 द्वारा भू-स्वामित्व का निर्धारण नही किया जाता है और न ही मानचित्र की स्वीकृति से भू-स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्राप्त होता है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण स्वामित्व सम्बन्धी विवाद का निस्तारण करने वाली संस्था/अभिकरण नही है। भविष्य में भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में सक्षम स्तर/राज्य सरकार/न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, आवेदक पर बाध्यकारी होगा।

28. राज्य पर्यावरण प्राधिकरण (SEIAA) के कमेटी SEAC की 494वीं बैठक की कार्यवृत्त संलग्न की गयी है, जिसके RESOLUTION AGAINST AGENDA NO-08 की टिप्पणी निम्नवत् है "The committee discussed the matter and recommended to grant the environmental clearance for the above project proposal along with general conditions as earlier prescribed by authority for construction project and following specific conditions:" (पतांकित) उक्त के दृष्टिगत विकासकर्ता कम्पनी को पर्यावरण (SEIAA) की अनापत्ति अनिवार्य रूप से अतिशीघ्र उपलब्ध करानी होगी।
29. विद्युत कनेक्शन एवं ट्रान्सफार्मर स्थापना पर होने वाले व्यय की जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी की होगी। विकासकर्ता के आवंटियो/भूखण्ड–धारकों को व्यक्तिगत कनेक्शन PuVVNL से प्राप्त करना होगा।
30. भविष्य में यदि स्वामित्व के बिन्दु पर किसी न्यायालय द्वारा डीड निरस्त की जाती है या अन्य किसी विवाद के कारण स्वामित्व पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त (बिना किसी कारण बताओ नोटिस के) कर दिया जायेगा। मानचित्र की स्वीकृति से भौमिक अधिकार प्राप्त नही होगा।
31. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
32. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
33. उपर्युक्त शर्तो को पूर्ण करने तथा मानचित्र की प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत माना जायेगा। Conditions से Material/Substantial विचलन की स्थिति में प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा इस आधार पर की गयी समस्त कार्यवाहियॉ अकृत एवं शून्य समझी जायेगी।
34. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे कम्पनी को जमा करना होगा।
35. यह स्वीकृति इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014 में दिये गये प्रावधानो के अनुसार लाईसेन्स निर्गमन से 08 वर्षो की अवधि के लिए है।
36. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
37. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

27/1/17

अधिशासी अभियन्ता/
प्रभारी अधिकारी (त0स0)